


JOINT COMMITTEE REPORT

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE IN COMPLAINEE WITH  
ORDER DATED 05/01/2023 OF THE HON'BLE NATIONAL GREEN  
TRIBUNAL (PB) AT NEW DELHI IN THE MATTER OF OA NO. 916/2022  
, HAKIMUDDIN HUSAIN V. STATE OF MP & ORS.**

As per the order passed by the Hon'ble NGT, the District Collector cum District Magistrate District Ujjain (M.P.) has been appointed as the nodal officer for the co-ordination and compliances. In compliance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal, the committee so constituted, organized its meeting on 02/05/2023 at 4:00 PM in the presence of Additional Principal Chief Conservator of Forest, District Collector cum District Magistrate, District Ujjain, Chief Executive Officer, Zila Panchayat.

As per the order so received, through the Sub-Divisional Magistrate (Revenue) the present status report having updated information regarding the total reserved land for plantation and the status of encroachment on the said land was called from all the Tehsildars. The information so received was placed before the committee which is as follows:-



S.No.	Tehsil	Land for plantation	
		Total Reserved Land	Encroachment
1.	2.	3.	4.
1.	Ujjain	15.960	0.000
2.	Ujjain Nagar	232.008	0.000
3.	Kothimehel	0.000	0.000
4.	Ghattiya	267.273	4.80
5.	Khachrod	17.950	0.000
6.	Nagda	3.740	2.120
7.	Badnagar	38.700	0.000
8.	Mahidpur	12.630	0.000
9.	Jharda	10.680	0.000
10.	Tarana	0.000	0.000
11.	Makdone	0.000	0.000
District Ujjain		598.941	6.92

It is noteworthy that the verification work of the afore-mentioned land has been carried out. Encroachment is shown on the total 4.80 hectares of land in Tehsil Ghattiya which is marked at serial no. 4 in the table, out of which on 1.00 hectares of land residential houses are constructed and cow shelter is also built upon the same piece of land and on 0.05 hectare of land a school is constructed, rest of the

land has been encroached upon by the cultivation of crop which will be removed soon. Similarly at serial no. 6 Tehsil Nagda out of 2.120 hectare on 0.008 hectare land the boundary wall of the school is constructed and soon the rest of the land will be made free from encroachment and encumbrances.

According to the information received from the Forest Department, after removal of the encroachment the possession of the land bearing Survey No. 155 Area 12.960 hectare of Village Sodang, Tehsil Ghattiya is already handed over to the Forest Department for compensatory afforestation.

The continuous efforts are being made for plantation in the entire District. According to the information received from the Forest Department the work of compensatory afforestation is carried out in area of 53.481 hectare at Village Divil, Tehsil Khachrod District Ujjain. Similarly in the area of 15.14 hectares of land at Village Runija Tehsil Badnagar the proposal for plantation work is forwarded to the Forest Department, Further in the land having an area of 65.69 hectares situated at Village Lasudiyadhandhu Tehsil Makdone the proposal for compensatory afforestation is forwarded to the Forest Department. The land bearing Survey No. 155 having an area of 11.96 hectares provided by the Revenue Department for the purpose of compensatory afforestation at Village Sodang, Tehsil Ghattiya, the proposals for compensatory afforestation is also forwarded to the Forest Department.

  
(Ms Ankita Dhakre)  
Chief Executive Officer  
Zila Panchayat Ujjain

  
(Kumar Purshottam)  
District Collector & District  
Magistrate District Ujjain

  
(Manoj Kumar Agrawal)  
Additional Principal Chief  
Conservator of Forest, Ujjain



## राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अंतर्गत हकीमुद्दीन के प्रकरण में जानकारी, जिला उज्जैन

क्र	तहसील	वृक्षारोपण हेतु भूमि		वन भूमि के नाम पर दर्ज है	रकबा हेक्टर में
		कुल आरक्षित भूमि	अतिक्रमण		वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	15.960	0.000	369.000	0.000
2	उज्जैन नगर	232.008	0.000	258.000	232.008
3	कोठीमहल	0.000	0.000	0.000	0.000
4	घट्टिया	267.273	17.760	217.000	249.513
5	खाचरौद	17.950	0.000	0.000	0.000
6	नागदा	3.740	2.120	0.000	0.000
7	बडनगर	38.700	0.000	0.000	0.000
8	महिदपुर	12.630	0.000	0.000	9.240
9	झार्डा	10.680	0.000	0.000	9.270
10	तराना	0.000	0.000	1201.000	0.000
11	माकड़ौन	0.000	0.000	1104.000	0.000
जिला उज्जैन		598.941	19.880	3149.000	500.031

क्रमांक/३७५/री.१/२०२३

प्रति,

कलेक्टर महोदय

(भू-अभिलेख)

जिला उज्जैन

विषय: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन।

संदर्भ: श्रीमान का पत्र क्रं. 971/भू.अ./रा.नि./2023 दिनांक 12.04.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि तहसील उज्जैन नगर अंतर्गत बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

1. तहसील उज्जैन नगर अंतर्गत 232.008 हे. भूमि वृक्षारोपण के लिये आरक्षित है। उक्त भूमियाँ अतिक्रमण मुक्त है। मौके पर वृक्षारोपण के उपयोग में है।
2. बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी निरंक है।
3. तहसील अंतर्गत उक्त आरक्षित 232.008 हे. भूमि में से ग्राम नोलखीबीड में 225.214 हे. भूमि पर वन मौजूद है, वर्तमान खसरा अभिलेख में म.प्र. शासन शासकीय दर्ज अभिलेख है। तथा ग्राम भीतरी में 6.794 हे. भूमि वृक्षारोपण कर वृक्षों का रखरखाव एवं देखभाल करने के लिये वन विभाग को दी गई है। उक्त भूमि का वन विभाग को आवंटन/हस्तांतरण नहीं है। उक्त भूमि मंदिर की भूमि होकर श्री जनार्दन भगवान मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय के नाम पर दर्ज अभिलेख है।

तहसीलदार  
तहसील-उज्जैन नगर  
जिला उज्जैन नगर

क्रमांक	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा	रिमार्क
1	लसुडियावाजार	103/3	1.83	कोई अतिक्रमण नहीं
2	लसुडियावाजार	149/3	1	कोई अतिक्रमण नहीं
3	रुई	319/7	0.19	कोई अतिक्रमण नहीं
4	सेमलियाबीबी	162/1	3.67	कोई अतिक्रमण नहीं
5	सिपावरा	352	0.77	कोई अतिक्रमण नहीं
6	सिपावरा	381	0.54	कोई अतिक्रमण नहीं
7	सिपावरा	382	0.59	कोई अतिक्रमण नहीं
8	सिपावरा	383	1.03	कोई अतिक्रमण नहीं
9	सिपावरा	715	1.06	कोई अतिक्रमण नहीं
10	सिपावरा	731	0.83	कोई अतिक्रमण नहीं
11	सिपावरा	734	0.91	कोई अतिक्रमण नहीं
12	सिपावरा	752	0.91	कोई अतिक्रमण नहीं
13	सिपावरा	761	3.14	कोई अतिक्रमण नहीं
14	नवेली	36	0.7	कोई अतिक्रमण नहीं
15	नवेली	99	1.21	कोई अतिक्रमण नहीं
16	नवेली	103	0.87	कोई अतिक्रमण नहीं
17	नवेली	111	1	कोई अतिक्रमण नहीं
18	नवेली	302	2.3	कोई अतिक्रमण नहीं
19	बिहारिया	475	0.33	कोई अतिक्रमण नहीं
20	बिहारिया	476	0.09	कोई अतिक्रमण नहीं
21	बिहारिया	495	6.6	कोई अतिक्रमण नहीं
22	गुनाया	4	17.81	1200 हे. पर फसल बोकर अतिक्रमण है।
23	माघवगढ	100	3.92	कोई अतिक्रमण नहीं
24	माघवगढ	136	2	160 हे. पर मकान बनाकर एवं फसल बोकर अतिक्रमण है।
25	बरखेडी खालसा	1	4.66	0.85 हे. पर फसल बोकर अतिक्रमण है।
26	बरखेडी खालसा	53	0.61	कोई अतिक्रमण नहीं
27	खलाना	21	2.78	कोई अतिक्रमण नहीं
28	गोयलाबुजुर्ग	239	1.12	कोई अतिक्रमण नहीं
29	धुलमहू	48/1	2.13	कोई अतिक्रमण नहीं
30	धुलमहू	214/1	9.64	कोई अतिक्रमण नहीं
31	धुलमहू	215/1	4.85	कोई अतिक्रमण नहीं
32	दाबलाधूता	62/1	7.89	कोई अतिक्रमण नहीं
33	दाबलाधूता	83/3	5	कोई अतिक्रमण नहीं
34	तुमडावदा	285	0.27	कोई अतिक्रमण नहीं
35	तुमडावदा	403	1.75	कोई अतिक्रमण नहीं
36	तुमडावदा	404	1.13	कोई अतिक्रमण नहीं
37	तुमडावदा	407/1	0.33	कोई अतिक्रमण नहीं
38	तुमडावदा	409	1	कोई अतिक्रमण नहीं
39	तुमडावदा	429	1.15	कोई अतिक्रमण नहीं
40	पिरोलियाझाली	32/1	2.1	कोई अतिक्रमण नहीं
41	पिरोलियाझाली	32/3	2.5	कोई अतिक्रमण नहीं
42	पिरोलियाझाली	321	0.72	कोई अतिक्रमण नहीं
43	पिरोलियाझाली	340	0.49	कोई अतिक्रमण नहीं
44	पिरोलियाझाली	345/1	2	कोई अतिक्रमण नहीं
45	पिरोलियाझाली	349/1	0.41	कोई अतिक्रमण नहीं
46	पिरोलियाझाली	351	0.49	कोई अतिक्रमण नहीं
47	सिंगावदा	350	6.55	कोई अतिक्रमण नहीं

तहसीलदार  
तहसील घाटिया जि. उज्जैन

रातिडिया	232	1.26	1.26 हे. पर फसल बोककर अतिक्रमण हे
बछोदियाकजी	564	0.7	कोई अतिक्रमण नहीं
नईखेडी	215/2	1.11	नर्सरी संचालित है।
नईखेडी	215/3	2.89	नर्सरी संचालित है।
नागपुरा	503	1.7	कोई अतिक्रमण नहीं
अजनोटी	36	2.45	कोई अतिक्रमण नहीं
अजनोटी	184	3.95	कोई अतिक्रमण नहीं
झिरव्या	58	0.05	कोई अतिक्रमण नहीं
झिरव्या	71	0.07	कोई अतिक्रमण नहीं
खेडला	132	2.58	कोई अतिक्रमण नहीं
खेडला	134	0.36	कोई अतिक्रमण नहीं
चकरावदा	48	0.83	कोई अतिक्रमण नहीं
चकरावदा	90	1.73	कोई अतिक्रमण नहीं
चकरावदा	93	4.9	कोई अतिक्रमण नहीं
चकरावदा	119/1	6.8	कोई अतिक्रमण नहीं
चकरावदा	160	2.85	1.00 हे. पर 12 मकान अतिक्रमण हे।
सोडग	155	12.96	12.96 हे मूमि अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को कब्जा सौंपा गया।
सोडग	218	0.32	कोई अतिक्रमण नहीं
सोडग	223	4.12	कोई अतिक्रमण नहीं
सोडग	363	1	कोई अतिक्रमण नहीं
विनायगा	8	0.083	कोई अतिक्रमण नहीं
विनायगा	39	0.77	कोई अतिक्रमण नहीं
विनायगा	58	0.56	कोई अतिक्रमण नहीं
विनायगा	60	0.66	कोई अतिक्रमण नहीं
आजमपुरा	142	8.96	कोई अतिक्रमण नहीं
आजमपुरा	256	4	कोई अतिक्रमण नहीं
आजमपुरा	554	0.77	कोई अतिक्रमण नहीं
गोनसा	1/2	3	कोई अतिक्रमण नहीं
गोनसा	101/1	3.55	कोई अतिक्रमण नहीं
कालिथादेह	115	1.42	कोई अतिक्रमण नहीं
बोरमुण्डला	18	0.41	कोई अतिक्रमण नहीं
बोरमुण्डला	26	1.47	कोई अतिक्रमण नहीं
मीण	298	8.71	कोई अतिक्रमण नहीं
घन्नाखेडी	293/3	4	कोई अतिक्रमण नहीं
नजरपुर	1210/1	5	कोई अतिक्रमण नहीं
नजरपुर	675/5	4	कोई अतिक्रमण नहीं
नजरपुर	134/1	0.49	कोई अतिक्रमण नहीं
नजरपुर	129/4	0.2	कोई अतिक्रमण नहीं
नजरपुर	866	7.26	कोई अतिक्रमण नहीं
नजरपुर	120	1.73	कोई अतिक्रमण नहीं
मालीखेडी	303/1	1	कोई अतिक्रमण नहीं
मालीखेडी	304	3.09	कोई अतिक्रमण नहीं
मालीखेडी	306/1	0.15	कोई अतिक्रमण नहीं
भूतिया	1	11.98	कोई अतिक्रमण नहीं
बनडा	69/2	31.56	0.05 हे पर स्कुल एव 1.00 हे पर गोशाला बनाकर अतिक्रमण
खजुरियासदर	204/3	0.5	कोई अतिक्रमण नहीं
	कुल रकबा	267.273	

  
 Nagesh  
 तहसील घटिया जिला उज्जैन  
 तहसील घटिया डि. उज्जैन

# कार्यालय तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन

क्र ७ सी/2023

नागदा, दिनांक 25/09/23....

प्रति.

कलैक्टर महोदय,  
(भू - अभिलेख शाखा)  
जिला उज्जैन म.प्र.

विषय:- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधान के तहत आवेदनों के संबंध में ।

संदर्भ :- श्रीमान का प क्रमांक /1028/भू.अ./रा.नि./2023, उज्जैन दिनांक 19/04/2023 ।

संदर्भित विषय में निवेदन है कि श्रीमान के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से तहसील नागदा अंतर्गत चाही गई जानकारी बिंदुवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जानकारी	उत्तर
1.	शासन द्वारा कितनी हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है ? इन भूमियों के कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है तथा कितने क्षेत्रफल भूमि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा ली गई है ?	तहसील नागदा में कुल 4 ग्रामों में कुल 3.74 हे. भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है। उक्त भूमि में से ग्राम करनावद स्थित भूमि सर्वे नंबर 1134 रकबा 0.08 हे. भेरूलाल पिता रूनाथ द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ग्राम बरखेडा माण्डन अंतर्गत भूमि सर्वे क्रमांक 109/1 रकबा 0.51 हे. में से 0.08 हे. स्कूल बांड़ी एवं 0.05 हे. पर अतिक्रमण होकर शेष भूमि रिक्त है। ग्राम टकरावदा में 2.74 हे. में से 1.99 हे. भूमि पर अतिक्रमण है। शेष 0.75 हे. भूमि रिक्त है। अतिक्रमित भूमि को शीघ्र ही रिक्त करा लिया जावेगा।
2.	ऐसी कितनी भूमियां हैं जो वन विभाग के नाम दर्ज है परंतु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को आवंटित नहीं की गई है ?	वन विभाग के नाम से भूमि दर्ज नहीं है।
3.	ऐसी कितनी भूमि आवंटित है जिनका मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है ?	भूमि आवंटन नहीं होने से जानकारी निरंक है।

325/09/23

प्र. तहसीलदार

तहसील नागदा

# कार्यालय तहसीलदार तहसील झारडा जिला उज्जैन

क्र/क्यू/रीडर/2023/001

झारडा दिनांक - 25/4/23

प्रति

श्रीमान कलेक्टर महोदय,  
भू-अभिलेख शाखा जिला उज्जैन

विषय :- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक -917/भू.अ./रा.नि/2023, उज्जैन दिनांक 12/04/2023।

उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन तहसील झारडा की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है -

1. तहसील झारडा में वृक्षारोपण हेतु 10.68 हेक्टेयर आरक्षित भूमि है। उक्त भूमि में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।
2. तहसील झारडा में वनविभाग की कोई भूमि नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।
3. तहसील झारडा में वास्तविक रूप से 9.27 हे. भूमि का मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है।

अतः श्रीमान की और सादर सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) अनुभाग महिदपुर की और सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार

तहसील झारडा जिला उज्जैन  
झारडा, जिला उज्जैन

तहसीलदार

तहसील झारडा जिला उज्जैन  
झारडा, जिला उज्जैन

# कार्यालय तहसीलदार तहसील साकड़ोन, जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक/आ.का/सा/2023/217

उज्जैन दिनांक: 25/04/2023

प्रति,

कलेक्टर, म.प्र. अभिलेख

जिला उज्जैन म.प्र.

विषय: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन ।

वृत्त: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन क्रमांक/910/2022, अंतर्गत आदेश दिनांक: 16.03.2023 एवं आवेदन कलेक्टर म.प्र.अभि.सं.सं.पत्र 971 / म.प्र./ स.नि. / 2023 उज्जैन दिनांक: 12.04.2023

...

उपरोक्त विषयसंबंधित सद्विहित पत्र के पालन में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 के शर्तों का ही मई जानकारी जमा

पत्र संख्या अनुसार निम्नानुसार है:

क्रमांक	जानकारी	जाय
1	भारत द्वारा कितनी लख भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है? इन भूमियों के वितरण का पर-अनुमतिपत्र है? तथा कितनी शेषफल की भूमि तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त मुक्त करा ली गई है ?	निरत
2	ऐसी कितनी भूमियां हैं जो वनविभाग के नाम दर्ज हैं, परन्तु राज्य विभाग द्वारा वनविभाग को आवंटित नहीं की गई है ?	निरत
3	ऐसी कितनी भूमि आवंटित है जिन्हां मोक पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है ?	निरत

रतन - राज्य विभाग परीक्षक

*(Handwritten signature)*  
तहसीलदार  
तहसील साकड़ोन  
जिला उज्जैन म.प्र.  
उज्जैन दिनांक...

साकड़ोन / आ.का / सा. / 2023

प्रतिनिधि-

1 - अनुविभागीय अधिकारी, तहसील साकड़ोन

*(Handwritten signature)*  
तहसीलदार  
तहसील साकड़ोन  
जिला उज्जैन म.प्र.

2.120 हे. भूमि में से .008 हे. भूमि पर स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनी हैं व शीघ्र ही शेष भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जावेगा।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील घट्टिया ग्राम सोडंग के सर्वे न. 155 में वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त भूमि रकबा 12.960 हे. का अतिक्रमण हटाकर कब्जा वन विभाग को दिया जा चुका है।

जिले में वृक्षारोपण हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं। वन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम दिवेल, तहसील खायरोद, रकबा 53.481 हे. क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराया गया है, इसी प्रकार ग्राम रूनिजा, तहसील बड़नगर रकबा 15.14 हे. वृक्षारोपण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, ग्राम लसुडियाघांधु, तहसील माकड़ोन रकबा 65.69 हे. वृक्षारोपण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। राजस्व विभाग से वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि ग्राम सोडंग तहसील घट्टिया सर्वे न. 155 रकबा 11.96 हे. क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।

  
(सुश्री अंकिता धाकरे)  
मुख्य कार्यपाबन अधिकारी,  
जिला पंचायत उज्जैन

  
(कुमार मुरुषोत्तम)  
कलेक्टर एवं जिला  
दण्डाधिकारी जिला उज्जैन

  
(मनोज कुमार अग्रवाल)  
अपर प्रधान मुख्य  
वनसंरक्षक,  
उज्जैन

कार्यालय तहसीलदार तहसील खाचरोद जिला उज्जैन  
कं/आका/2023/351

दिनांक :- 05/04/2023

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय  
(भू-अभिलेख शाखा)  
जिला उज्जैन

विषय :- राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र के विषय में (संशोधित)।  
संदर्भ :- आपका पत्र कं/971/भू030/2023 उज्जैन दिनांक 12/04/2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि तहसील खाचरोद की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है-

1. तहसील खाचरोद में वृक्षारोपण हेतु 17.95 हे0 आरक्षित भूमि है। उक्त भूमि में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।
2. तहसील खाचरोद में वनविभाग की कोई भूमि नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।
3. वास्तविक रूप से भूमि का मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग होना नहीं पाया गया है।

अतः श्रीमान की ओर सादर प्रेषित।

तहसीलदार  
तहसील खाचरोद  
जिला उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिलिपि,

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अनुविभाग खाचरोद जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार  
तहसील खाचरोद  
जिला उज्जैन (म.प्र.)

3/ ऐसी कितनी वास्तविक भूमि आवंटित है जिनका मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जा रहा है।

- 1/ ग्राम बांदरबेला की 8.16 भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित है पर मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- 2/ ग्राम चिरोला की 5.0 भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित है पर मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है
- 3/ ग्राम रूनिजा की 15.14 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित है और वन विभाग द्वारा तार फेंसिंग का कार्य किया गया है।
- 4/ ग्राम बालोदालक्खा की 0.4 भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित है उक्त भूमि में मंदिर भी बना है। व फुल पोधे लगा रखे हैं।
- 5/ ग्राम नकुचाखेडी की 10.0 भूमि उद्यान हेतु आवंटित है पर मौके पर उद्यान हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है

  
उपस्थित  
महसिली  
महसिली-बांदरबेला



12

**MOST URGENT**

15/05/2023


The Respected  
Dr. P. Dharma  
Loyar Marg, Alkapuri Colony,  
Bijethi Mahalinga Poojash 4555412

Subject: Encroachment on Government Plantation Land

Dear Sir,  
In view of your kind knowledge that Government Land reserved for plantation with the following details is being encroached on by the land mafia:

- Land Area: 14.58 Hectare
- Land Ownership: Government
- Land Use: Plantation
- Survey Number: 155(S)
- Block: MEDIMMEDIHO
- Taluk: Soodan
- District: Chitalya
- Taluk: Ujjain
- Pin: 466013
- GPS: 20.000114, 75.938114

Link: <https://goo.gl/maps/vc1o53gmanuPobz19>



*(Handwritten signature)*

I have attached the digitally signed Khasta and Map Records for your reference. Looking forward to your quick response.

Respectfully Yours,  
Rajinikanth Ashokanwala  
ERN Member - Wildlife Trust of India  
Mob: +91-7440535353  
WhatsApp: +91-9765159991

- 1. Digitally Signed Copy of Khasta records
- 2. Digitally Signed Copy of Land Map
- 3. Copy of email





## संयुक्त प्रतिवेदन

(माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (एनजीटी) द्वारा ओ.ए. क्रमांक-916/2022 श्री हाकिमुद्दीन हुसैन विरुद्ध मुख्य सचिव, म.प्र. शासन एवं अन्य में दिनांक 05.01.2023 को जारी आदेश के पालन में)

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 02.05.2023 मंगलवार को दोपहर 04 बजे माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के पालन में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन उपस्थित रहे।

प्राप्त आदेश के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से समस्त तहसीलदारों से वृक्षारोपण हेतु कुल आरक्षित भूमि एवं उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अद्यतन जानकारी आहूत की गई। प्राप्त जानकारी को समिति के समक्ष रखा गया, जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील	वृक्षारोपण हेतु भूमि	
		कुल आरक्षित भूमि	अतिक्रमण
1	2	3	4
1	उज्जैन	15.960	0.000
2	उज्जैन नगर	232.008	0.000
3	कोठीमहल	0.000	0.000
4	घट्टिया	267.273	4.80
5	खाचरौद	17.950	0.000
6	नागदा	3.740	2.120
7	बडनगर	38.700	0.000
8	महिदपुर	12.630	0.000
9	झारड़ा	10.680	0.000
10	तराना	0.000	0.000
11	माकड़ोन	0.000	0.000
जिला उज्जैन		598.941	6.92

उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार भूमियों का सत्यापन का कार्य किया गया है। तालिका में अंकित क्र 4 तहसील घट्टिया में कुल 4.80 भूमि पर अतिक्रमण दर्शाया है, जिनमें से 1.00 हे. भूमि पर रहवासी मकान निर्मित है व इतनी ही भूमि पर गौशाला निर्मित है तथा 0.05 हेक्टर पर स्कूल निर्मित है, शेष भूमि पर कृषि किया जाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसे शीघ्र ही हटा दिया जायेगा। उसी प्रकार क्र 6 तहसील नागदा की

मध्य प्रदेश शासन,

राजस्व विभाग,

वल्लभ भवन, मंत्रालय 462004

क्रमांक- 45 / 1089394 / 2023 / सात-2 भोपाल दिनांक 30 / 01 / 2023  
प्रति,

कलेक्टर,

जिला उखरौन

म.प्र. ।

विषय- ओ.ए. क्रमांक- 910 / 2023 श्री हाकिमुद्दीन हुसैन विरुद्ध मुख्य सचिव, म.प्र.शासन,  
एवं अन्य ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली (एन.जी.टी. नई दिल्ली) से ई-मेल से प्राप्त पत्र दिनांक 12 / 01 / 2023 जो कि मुख्य सचिव महोदय को संबोधित है, जिसमें सी.एस. / मॉ. / 65 / 2023 दिनांक 12 / 01 / 2023 के संलग्न सहपत्रों की छायाप्रति संलग्न है । प्रकरण मुख्य सचिव मॉनिट में दर्ज है ।

2/ निर्देशानुसार में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण कर कर प्रकरण में प्रमारी अधिकारी को नियुक्ति किया जाकर प्रकरण से यथाशीघ्र मान. एन.जी.टी. न्यायालय में जवाबदावा / कम्प्लाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने, तथा जवाबदावा की एक प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध है, ताकि मुख्य सचिव मॉनिट प्रकरण को विलोपित कराया जा सके  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(राजेश कुमार कौल)

अवर सचिव,

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

भोपाल दिनांक / 01 / 2023

क्रमांक- / 1089394 / 2022 / सात-2

प्रतिलिपि-

उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. की ओर सी.एस. / मॉनिट / 65 / 2023,  
दिनांक 12 / 01 / 2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

अवर सचिव,

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

**NOTICE in In Original Application No. 916/2022 Hakimuddin Husain ... Applicant Versus State of Madhya Pradesh & Ors. ... Respondents...**

**From :** Consultant Judicial-NGT (P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Thu, Jan 12, 2023, 10:55 AM

**Subject:** NOTICE in In Original Application No. 916/2022 Hakimuddin Husain

3 attachments

... Applicant Versus State of Madhya Pradesh & Ors. ... Respondents...

**To :** cs@mp.gov.in, Iqbal Singh Bains <cs@mp.nic.in>, PRESIDENT Madhya Pradesh <revboard@nic.in>, PS Forest MP <psforest@mp.gov.in>, DG EPCC <dg.epcc@mp.gov.in>, Additional Chief Secretary Forest <acsforest@mp.gov.in>, dirpanchayat@mp.gov.in, Ms. Ankita Dhakre IAS <ceozpujj@mp.gov.in>, abhishek trivedi.79 <abhishek.trivedi.79@gmail.com>, Mr. Ashish Singh IAS <dmujain@nic.in>

**Reply To :** Consultant Judicial-NGT (P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam

I am directed to send the Notice along with Order dated 05/01/2023 as well as copy of the Petition in Original Application No. 916/2022 Hakimuddin Husain ... Applicant Versus State of Madhya Pradesh & Ors. ... Respondents . for your kind perusal & necessary action.

For further correspondence please send all the documents on this e-mail-id i.e.

[judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in)

Kindly acknowledge the same.

**REGARDS**  
**CONSULTANT (Judicial)**  
**(N.G.T.)(P.B.) New Delhi**



Digitally signed by Iqbal Singh Bains, DN: cn=Iqbal Singh Bains, o=CONSULTANT JUDICIAL-NGT (P.B.), c=IN

**Notice.pdf**  
517 KB

**Order.pdf**  
114 KB

**Petition.pdf**  
591 KB

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 916 OF 2022**  
**Hakimuddin Husain Vs State Of Madhya Pradesh & Ors.**

②

<b>C.S. MONIT</b>	
मुख्य सचिव कार्यालय	CS/monit/6.5/2023
दिनांक 12-01-2023	समय-सीमा 27-01-2023

- To
1. State of Madhya Pradesh, Through its Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, M.P., Manuvalaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004, M.P.  
 Email Address: cs@mp.nic.in
  2. Principal Secretary, Revenue Department, Government of Madhya Pradesh, Vivekanand Neelam Road Gwalior, M.P.-475004  
 Email Address: revboard@nic.in
  3. Principal Secretary, Environment Department, Government of Madhya Pradesh  
 Additional: Chief Secretary, Department of Forest, Planning, Economics and Statistics, Bhopal, M.P.  
 Email Address: psforest@mp.gov.in/  
 dg,epco@mp.gov.in
  4. Principal Chief Conservator of Forest, Government of Madhya Pradesh  
 Nishat Colony, Arcin Hills, Bhopal Madhya Pradesh-462011  
 Email Address: acsforest@mp.gov.in
  5. Chief Executive Officer, Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh, Dandarna, Kothe Road, Ujjain-456010, M.P.  
 Email Address: dirpanchayat@mp.gov.in/ ceo@puj@mp.gov.in

18/1/2023  
 1805/PSR/CSW

18/1/2023  
 1805/PSR/CSW  
 18/1/2023  
 1805/PSR/CSW

(RESPONDENT NO.1)

(RESPONDENT NO.2)

(RESPONDENT NO.3)

(RESPONDENT NO.4)

(RESPONDENT NO.5)

(RESPONDENT NO.6)

18 JAN 2023

**NOTICE**

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 16.01.2023 (copy of order and petition are enclosed), when the Hon'ble Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Madhya Pradesh through Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, (2) Principal Secretary, Revenue Department, Government of Madhya Pradesh (3) Principal Secretary, Environment Department, Government of Madhya Pradesh (4) Principal Chief Conservator of Forest, Government of Madhya Pradesh, (5) Chief Executive Officer, Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh and (6) The Collector, Ujjain, who stand implored as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within two months of judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image/PDF

6. List for further consideration on 16.03.2023."

Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 16<sup>th</sup> March, 2023, at Faridkot House, Connaught Place, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file responses/replies, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 05.01.2023.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 10<sup>th</sup> January, 2023.

Note: (For Order's, Cause Lists & other documents, please visit our website [www.ngt.nic.in](http://www.ngt.nic.in))

Consultant (Judicial), NGT

Govt Plantation Land In  
UJJAIN

②



Hakimuddin Hu... Nov 17

to me <



From Hakimuddin Husain •

hakimuddinhusain@gmail.com

To afrozahmad@hotmail.com

Date Nov 17, 2022, 12:51

Respected Sir,

This is to bring to your kind knowledge that Ujjain is being developed as a prominent tourist destination in Madhya Pradesh; having only 0.69% of the geographical forest cover area. Despite the alarmingly low green coverage, the available



All relevant tehsil offices are already having the records of the lands reserved for plantation, I have been pursuing the collector and DFO office for one such land, sample land documents are attached for your kind perusal,

If a strong drive from NGT is conducted a huge sum of plantation land can be added to the green pool in Ujjain district.

Looking forward to your action,


Very Truly Yours,

Hakimuddin Askofenwala

ERN Member - Wildlife Trust of India

Mob: +91-7440535353

Whatsapp: +91-9755159991



बिन्दु क्रमांक-01 (I)

वनमण्डल में सम्मिलित वनखण्डों का वन परिक्षेत्रवार विवरण :-

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	वनखण्ड	वैधानिक स्थिति	रकबा	रिमांक
1	2	3	5	6	7	8
1	उज्जैन	उज्जैन	कैसूनी	आरक्षित	65.99	-
2			नौलखी	आरक्षित	328.00	-
3			जम्बूरा	आरक्षित	24.09	-
4			पि. बिछा	आरक्षित	117.95	-
5			गुनई	आरक्षित	56.03	-
6			भूतियां	आरक्षित	42.95	-
7			गोयला खुर्द	संरक्षित	2.04	-
			योग उज्जैन परिक्षेत्र		<b>637.05</b>	
8	उज्जैन	तराना	कनार्दी	आरक्षित	2115.66	-
9			बोरखेड़ी	आरक्षित	685.06	-
10			बगवाड़ा	आरक्षित	194.60	-
11			लसुडियां	आरक्षित	308.21	-
12			गुराडियां	आरक्षित	85.60	-
13			गुठलई	अवर्गीकृत	181.78	-
			योग तराना परिक्षेत्र		<b>3570.91</b>	
				कुल योग	<b>4207.96</b>	-

  
 वनमण्डल अधिकारी  
 वनमण्डल उज्जैन

बिन्दु क्रमांक-01 (II)

समय-समय पर कलेक्टर, जिला उज्जैन द्वारा वन विभाग को भूमियों का आबंटन किया गया, जो वनमण्डल में उपलब्ध भवन पंजी में दर्ज है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थल का विवरण	सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)	जिलाध्यक्ष का आदेश
1	कोठी महल, उज्जैन	4	1	1-8283/320/3 दि. 15.02.1983
2	दमदमा, उज्जैन	58/1	1 बीघा 7 विसा	2208/एक दि. 31.07.1964
3	ग्राम घट्टिया, जिला उज्जैन	477	1.954	अप्राप्त
4	गंगावाड़ी नर्सरी, तह. महिदपुर, जिला उज्जैन	-	4.851	77 दि. 11.12.1977
5	माकड़ोन रोड़, जिला उज्जैन	109	0.943	अप्राप्त
6	माकड़ोन नर्सरी, जिला उज्जैन	1164	12.776	अप्राप्त
7	नागदा रोड़, खाचरोद, जिला उज्जैन	486	0.784	अप्राप्त
8	नागदा, जिला उज्जैन	1349	1.493	अप्राप्त
9	नागदा-उन्हेल रोड़, जिला उज्जैन	399/1	1.254	अप्राप्त
10	कोठी महल, उज्जैन	8/1 9	3.585 1.425	34/ए/19/07-08/350 दि. 28.04.2008
11	त्रिवेणी नर्सरी, ग्राम गोयला खुर्द	143/4/1 143/1/1 143/2/3	8.6540	-

  
वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल उज्जैन

वि.सं. (०२)

संशोधन लेख लिखने पर प्रतिफल एवं अंकों विवरण

प्रमाणपत्र हेतु आरक्षण सह संकाय, जिल्हा शाळा

क्रमांक	तहसील	भाषा का नाम	अर्थ काय	अंकांक	प्रमाणपत्र
---------	-------	-------------	----------	--------	------------

1	उज्जैन	अमीरपुर सह फालतपुरा	१२/४	२४३	
2	उज्जैन	खरद	१४/१	२५०	
3	उज्जैन	वासुदेविया भीरमान	२४/६	१३६	
4	उज्जैन	जोतलखेडी	१८/०	१५०	
5	उज्जैन	दुर्गापुरिया पुरा	५/४	०७१	
6	उज्जैन	दुर्गापुरिया पुरा	८/०	२६५	
7	उज्जैन	सालोद	२९/१	०४३	
8	उज्जैन	वागीसा	१६/२/३	२००	
9	उज्जैन	अडारसा	३५/२	१५०	
10	घटिया	लखडियावाजार	१०/४	१४३	
11	घटिया	लखडियावाजार	१०/३	१००	
12	घटिया	रुं	३१/१	०४९	
13	घटिया	रोमलिया थोडी	१६/१	१५१	
14	घटिया	शिपावरा	५/२	०४७	
15	घटिया	शिपावरा	३४/१	०५४	
16	घटिया	शिपावरा	३४/२	०५९	
17	घटिया	शिपावरा	३४/३	१०३	
18	घटिया	शिपावरा	७/५	१०६	
19	घटिया	शिपावरा	७/१	०४६	
20	घटिया	शिपावरा	७/३	०९१	
21	घटिया	शिपावरा	७/२	०९१	
22	घटिया	शिपावरा	७/१	३३४	
23	घटिया	नवेली	३६	०७०	
24	घटिया	नवेली	९/१	१२१	
25	घटिया	नवेली	१०/३	०४७	
26	घटिया	नवेली	११/१	१००	
27	घटिया	नवेली	३०/२	२३०	
28	घटिया	बिहारिया	४७/५	०३३	
29	घटिया	बिहारिया	४/६	००९	
30	घटिया	बिहारिया	१/५	६६०	
31	घटिया	गुनाया	३	१७४३	
32	घटिया	माधवगढ	१००	३९२	
33	घटिया	माधवगढ	१३६	१९४	
34	घटिया	वरखेडी खालसा	१	४६६	
35	घटिया	वरखेडी खालसा	५३	०६१	
36	घटिया	खलाना	२१	२७४	
37	घटिया	मोयलखुर्जे	२३९	११२	
38	घटिया	धूलमर	४४/१	२१३	
39	घटिया	धूलमर	२१४/१	९६४	
40	घटिया	धूलमर	२१५/१	४४५	
41	घटिया	ढाबलाधुला	६२/१	७४९	
42	घटिया	ढाबलाधुला	४३/३	५००	
43	घटिया	ढाबलाधुला	२४५	०२७	
44	घटिया	ढाबलाधुला	४४/३	३७५	
45	घटिया	ढाबलाधुला	४४/३	३७५	
46	घटिया	ढाबलाधुला	४४/३	३७५	
47	घटिया	ढाबलाधुला	४४/३	३७५	
४८	घटिया	ढाबलाधुला	४४/३	३७५	

# कार्यालय तहसीलदार तहसील उज्जैन व जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक / आ.का / स्था. / 2023 / 1199

उज्जैन दिनांक 25/04/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय,  
भू- अभिलेख  
जिला उज्जैन म.प्र.

विषय:-राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन।  
संदर्भ:-राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक / 916 / 2022, अंतर्गत आदेश दिनांक 16.03.2023 एवं कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख का पत्र 971 / भू.अ. / रा.नि. / 2023 उज्जैन दिनांक 12.04.2023

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण 2010 के संबंध चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जानकारी	उत्तर
01.	शासन द्वारा कितनी हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है? इन भूमियों के कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है? तथा कितने क्षेत्रफल भूमि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा ली गई है ?	शासन द्वारा 15.96 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी निरंक है।
02.	ऐसी कितनी भूमियां है जो वनविभाग के नाम दर्ज है, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा वनविभाग को आवंटित नहीं की गई है ?	ऐसी 369 हेक्टर भूमि है जो वनविभाग के नाम दर्ज है, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा वनविभाग को आवंटित नहीं की गई जानकारी निरंक है।
03.	ऐसी कितनी भूमि आवंटित है जिनका मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है ?	मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली भूमि की जानकारी निरंक है।

तहसीलदार  
तहसील उज्जैन

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोठीगहल जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक / आ.का / स्था / 2023

उज्जैन दिनांक.....

प्रति,

क्लेक्टर महोदय,

(गू- अभिलेख)

जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय:-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन।  
संबन्ध:-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भिसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन  
क्रमांक/916/2022. अंतर्गत आदेश दिनांक 16.03.2023 एवं कार्यालय क्लेक्टर  
गू अभिलेख का पत्र 971/गूअ./रानि/2023 उज्जैन दिनांक 12.04.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 के  
संबंध चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जानकारी	उत्तर
01.	रासन द्वारा कितनी हक्टर भूमि कुक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है? इन भूमियों के कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है? तथा कितने क्षेत्रफल भूमि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा ली गई है ?	तहसील कोठीगहल की जानकारी निरक है।
02.	एसी कितनी भूमिया है जो यन्त्रोपकरण के नाम दर्ज है, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा यन्त्रोपकरण को आवंटित नहीं की गई है ?	तहसील कोठीगहल की जानकारी निरक है।
03.	एसी कितनी भूमि आवंटित है जिनका मौक पर पृथारोपण हेतु उपयोग हो रहा है ?	तहसील कोठीगहल की जानकारी निरक है।

तहसीलदार

तहसील कोठीगहल

कलेक्टर महोदय,  
(भू-अभिलेख) जिला उज्जैन

विषय:- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्राधानों के तहत आवेदन।

संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क्रमांक / भू.अ. / रा.नि. / 2023 उज्जैन, दिनांक

000

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि, श्रीमान के द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 916/2022 अंतर्गत तहसील की बिन्दुवार जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार है:-

क्रं.	बिन्दु	जानकारी
1	शासन द्वारा कितनी हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है? इन भूमियों के कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है तथा कितने क्षेत्रफल भूमि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा ली गई है?	तहसील घटिया क्षेत्रांतर्गत शासन द्वारा 267.273 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है इन भूमियों में से 17.76 हे पर अतिक्रमण है। इन भूमियों में से ग्राम सोडंग की कुल 12.96 हे. पर अतिक्रमण था जिसे विधिवत अतिक्रमण मुक्त करवाकर कब्जा वन विभाग को सौंप दिया गया है।
2	ऐसी कितनी भूमिया है जो वन विभाग के नाम दर्ज हैं परंतु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को आवंटित नहीं की गई है?	तहसील घटिया क्षेत्रांतर्गत 217.00 हेक्टर भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज हैं, जिसे पूर्व में ही राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को आवंटित कर दी गई है।
3	ऐसी कितनी वास्तविक भूमि आवंटित है जिनका मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है?	तहसील घटिया क्षेत्रांतर्गत 267.273 हेक्टर भूमि वन विभाग को आवंटित है, जिनमें से 249.513 हे. भूमि का मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है।

अतः चाही गई जानकारी बिन्दुवार प्रारूप में संलग्न श्रीमान की ओर सादर प्रस्तुत है।

क्रमांक / 443/ आ.का. / 2023

प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व) अनुभाग घटिया की ओर सूचनार्थ।

  
तहसीलदार  
घाटिया जिला उज्जैन  
घटिया बिक्रमिका-28-04-2023

  
तहसीलदार  
तहसील घाटिया जिला उज्जैन  
तहसील घाटिया जि. उज्जैन

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अंतर्गत हकीमुद्दीन के प्रकरण में अतिक्रमण संबंधी जानकारी

क्रमांक	तहसील	कुल आरक्षित भूमि	अतिक्रमण का रकबा	अतिक्रमण का प्रकार
01	नागदा	3.74 हेक्टेयर	2.12 हेक्टेयर	1. ग्राम बरखेडा मांडन में 0.08 हे. पर शासकीय स्कूल बाउण्ड्री एवं शेष 2.04 हेक्टेयर पर फसल बोकर अतिक्रमण किया गया

3 28/04/23  
प्रभारी तहसीलदार  
तहसील नागदा जिला-उज्जैन

कार्यालय तहसीलदार, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन  
 कमांक-क्यू/आ.का./2023/ 355 बड़नगर, दिनांक- 28.04.2023  
 प्रति,

कलेक्टर महोदय,  
 (भू-अभिलेख)  
 जिला उज्जैन

विषय:- राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र. 971/भू.अ./रा.नि./2023 उज्जैन दिनांक 12.04.2023

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र में निवेदन है कि तहसील बड़नगर की संशोधित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार आपकी ओर सादर प्रेषित है :-

1/ शासन द्वारा कितनी हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है? इन भूमियों के कितने क्षेत्रफल पर अभिक्रमण है तथा कितने क्षेत्रफल भूमि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा ली गई है।

शासन द्वारा कुल 38.7 हेक्टर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है

क्र.	ग्राम नाम	का	वृक्षारोपण हेतु आरक्षित सर्वे न.	रकबा हेक्टर में	रिमांक
1	बादरबेला		826	2.10	वृक्षारोपण हेतु
			827	3.18	वृक्षारोपण हेतु
			830	1.33	वृक्षारोपण हेतु
			761	1.55	वृक्षारोपण हेतु
2	घिरोला		429 / 12	5	वृक्षारोपण हेतु
3	रूनिजा		60	15.14	वन विभाग उज्जैन
4	बालोदालक्खा		140	0.4	उक्त भूमि में मंदिर भी बना है। व फुल पोथे लगाकर रखे है।
5	नकुचाखेडी		67 / 9	10	उद्यान की मद है।

उक्त भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

2/ ऐसी कितनी भूमिया है जो वन विभाग के नाम दर्ज है परंतु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को आवंटित नहीं की गई है।

निराक

# कार्यालय तहसीलद्वार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्र./...../आका./2023/ 1783

महिदपुर दिनांक: 20/04/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय,  
(शू. अभिलेख शाखा)  
जिला उज्जैन

विषय :- राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र के विषय में ।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/971/भूअ./2023 उज्जैन दिनांक 12/04/2023 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि तहसील महिदपुर की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है -

- 1-तहसील महिदपुर में वृक्षारोपण हेतु 12.63 हे. आरक्षित भूमि है । उक्त भूमि में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है ।
- 2-तहसील महिदपुर में वनविभाग की कोई भूमि नहीं है । राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है ।
- 3-वास्तविक रूप से 9,24 हे. भूमि का मौकें पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है ।

अतः श्रीमान की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि -

- 1- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व) अनुभाग महिदपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

तहसीलदार  
तहसीलद्वार  
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन

तहसीलदार  
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन

विषय- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन।  
सन्दर्भ- आपका पत्र क्र. 971-72/शु.अ./रा.नि./2023 उज्जैन दिनांक 12.04.2023.

विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि तहसील तराना की  
बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-


1. तहसील तराना में वृक्षारोपण हेतु निरंक आरक्षित भूमि है उक्त भूमि में  
वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।
2. तहसील तराना में वनविभाग की 1201.00 हे. भूमि दर्ज है राजस्व विभाग द्वारा  
वन विभाग को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। उक्त समस्त भूमि वन  
विभाग को आवंटित होकर वन विभाग के कब्जे में है।
3. वस्तविक रूप से कोई भूमि का मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग नहीं हो रहा  
है।

अतः श्रीमान् की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पृ. कं./361/रीडर/2023

प्रतिलिपि,

1. अनुविभागीय अधिकारी महोदय तराना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।



तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तराना विभागा क्र.नि.प.प्र. 23

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

Item No. 2

(Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No. 916/2022

Hakimuddin Husain

Applicant

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondents

Date of hearing: 05.01.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: Applicant in person (through VC).

Application under provisions of the National Green Tribunal Act, 2010

ORDER

1. Mr. Hakimuddin Husain, ERN Member-Wildlife Trust of India has sent the present letter petition, which has been treated and registered as original application complaining that in his recent survey in the Ujjain District the applicant observed that in every village Government land has been reserved for plantation but encroachments have been made on the same and the same are not being utilised for plantation.

2. The applicant has submitted in the application that Ujjain is being developed as a prominent tourist destination in Madhya Pradesh but Ujjain is having only 0.69 % forest cover area. The applicant has further submitted that if a drive is conducted for plantation in land reserved by the Government for the same, substantial green cover can be added in Ujjain District. In support of his application, the applicant has attached copy of letter dated 16.1.2022 sent by the DFO, Ujjain to the Collector, Ujjain

④  
 ③  
mentioning that land bearing survey no. 155 was reserved for plantation and the same may be made available to the forest department for afforestation.

3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Madhya Pradesh through Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, (2) Principal Secretary, Revenue Department, Government of Madhya Pradesh (3) Principal Secretary, Environment Department, Government of Madhya Pradesh, (4) Principal Chief Conservator of Forest, Government of Madhya Pradesh, (5) Chief Executive Officer, Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh and (6) The Collector, Ujjain, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within two months at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Madhya Pradesh, Chief Executive Officer, Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh, and the Collector, Ujjain and direct the same to verify the factual position and submit status report in respect of the entire land reserved by the Government in District Ujjain for plantation within two months at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of

searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The Collector, Ujjain will be the nodal agency for coordination and compliance.


6. List for further consideration on 16.03.2023.
7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Chief Executive Officer, Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Madhya Pradesh and the Collector, Ujjain, by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 05, 2023

AG



स.प्र. शासन, वन विभाग

**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन**

उज्जैन गा.प. वरावगा. उज्जैन (म.प्र.)- 456010

दूरभाष नं. 0734/2612104

ई-मेल/वेबसाइट/फैक्स

उज्जैन/विभाग/ए. 71-2022

क्रमांक/मा.चि./2022/ 553

प्रति

93811412002

रुहे कटर

जिला उज्जैन

विषय :- ग्राम सोडगा, तहसील घटिदिया, जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 155 वास्ते।

सन्दर्भ :- ग्राम सोडगा, तहसील घटिदिया, जिला उज्जैन का पंचसाल क्रमांक-155 की प्रति।

- \* \* \* -

उपरोक्त विषयसंबंधी विवेचन हे विभाग सोडगा, तहसील घटिदिया, जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 155 में हुआ होगा हेतु 11,2600 पर वन भूमि दर्जित है। वन क्षेत्र की चुकि-चुकी सू-कृत संज्ञान एवं जल-वायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक होने हेतु अनुरोध है कि उक्त भूमि के लिए वृक्षारोपण हेतु विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल उज्जैन  
उज्जैन/विभाग/16-71-2022

क्रमांक/मा.चि./2022/ 5532

प्रतिलिपि :-

- 01 उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल, उज्जैन की ओर सूचना के कर वोल है कि शोध स्वयं जिलाध्यक्ष से संपर्क कर ग्राम सोडगा, तहसील घटिदिया, जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 155 के वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए इस कार्यवाही को अत्यंत कारगर सुनिश्चित करें।

- 02 - तहसीलदार, घटिदिया, जिला उज्जैन को शोध सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल उज्जैन

रुहे कटर/व/2022  
12/04/2022

12



भारत सरकार  
भारतीय न्यायिक प्रणाली

सं. 2012-23  
दिनांक: 14-11-2022, 09:57:09

135 (5)



THIS MAP WAS PREPARED BY THE  
RECORDS AND SETTLEMENTS DEPT.  
GOVT. OF INDIA, NEW DELHI.  
DATE: 14-11-2022, 09:57:09  
CITY: DELHI  
CITY NO: 114/2012/23

भारत सरकार, नया दिल्ली  
भारतीय न्यायिक प्रणाली  
सं. 2012-23  
दिनांक: 14-11-2022, 09:57:09  
135 (5)



म.प्र. शासन, वन विभाग  
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन

उदयल मर्वा, दमदम, उज्जैन (म.प्र.)- 456010  
Office ☎ : (0734) 2512104 ईमेल - dfotujain@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 2357  
प्रति,

उज्जैन/दिनांक/1.5.2023

अपर कलेक्टर  
जिला उज्जैन

विषय :- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम-2010 के प्रावधानों के तहत आवेदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक-1124/मू.अ./रा.नि./2023 दिनांक 26.04.2023

-\*\*\*-

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी

निम्नानुसार है :-

01. जिले में वन विभाग की कुल भूमि (हि.) कितनी है।  
जानकारी संलग्न है।
02. ऐसी कितनी भूमियाँ हैं, जो वन विभाग के नाम दर्ज हैं परन्तु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को आबटित नहीं की गई है।  
सूची संलग्न है।
03. ऐसी कितनी वन भूमियाँ हैं, जिनका मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग हो रहा है।  
वनमण्डल उज्जैन अंतर्गत मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किए जा रहे वन भूमियाँ:-  
ग्राम दिवेल, तहसील खाचरोद, रकबा 53.481 हे. वृक्षारोपण कार्य कराया गया है, ग्राम रुनिजा, तहसील बड़नगर रकबा 15.14 हे. वृक्षारोपण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, ग्राम लसुडियाधांधु, तहसील माकड़ोन रकबा 65.69 हे., वृक्षारोपण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। राजस्व विभाग से वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि ग्राम सोडंग तहसील घटिटया सर्वे न. 155, 11.96 हे. वृक्षारोपण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल उज्जैन

पुष्पारोपण हेतु आशिकोत वन मण्डल, जिला उज्जैन

13466

क्र.सं.	ग्राम वन नाम	शत नंबर	रकबा हेक्टर में
50	परोलियाझाली	32/1	2.10
51	परोलियाझाली	32/3	2.50
52	परोलियाझाली	321	0.72
53	परोलियाझाली	340	0.49
54	परोलियाझाली	345/1	2.00
55	परोलियाझाली	349/1	0.41
56	परोलियाझाली	351	0.49
57	सिंगावदा	350	0.55
58	रातडिया	332	1.26
59	वडोदियावाली	564	0.70
60	नईखेड़ी	15/2	1.11
61	नईखेड़ी	21/3	1.89
62	नामपुरा	503	1.70
63	अजगोरी	36	2.45
64	अजगोरी	184	1.95
65	फिरन्या	58	0.05
66	फिरन्या	71	0.07
67	खेडला	132	2.58
68	खेडला	134	0.36
69	चकरावदा	48	0.84
70	चकरावदा	90	1.73
71	चकरावदा	93	4.90
72	चकरावदा	119	6.80
73	चकरावदा	160	2.85
74	चकरावदा	155	11.96
75	सोडग	218	0.32
76	सोडग	223	4.12
77	सोडग	636	1.00
78	सोडग	8	0.83
79	विनायगा	39	0.77
80	विनायगा	58	0.56
81	विनायगा	60	0.66
82	विनायगा	142	8.96
83	आजमपुरा	254	4.00
84	आजमपुरा	554	0.77
85	आजमपुरा	1/3	3.00
86	गोनसा	101/1	3.55
87	गोलियादेह	115	1.42
88	वीरमण्डला	18	0.41
89	वीरमण्डला	26	1.12
90	मीण	298	8.71
91	धनवाखेड़ी	293/3	4.00
92	नजरपुर	1210/1	5.09
93	नजरपुर	625/5	4.00
94	नजरपुर	131/1	0.49
95	नजरपुर	129/3	0.70
96	नजरपुर	806	1.25
97	नजरपुर	130	1.50
98	नजरपुर	131/1	4.00

पुनर्निर्माण अर्जों को अग्रिम दिनांक